

वाहन डीलर को "पंजीयन प्राधिकारी" बनाए जाने हेतु आवेदनपत्र

- 1 डीलर फर्म _____
2 प्रोपराइटर का नाम _____
3 पिता/पति/पालक का नाम _____
4 ईमेल _____ मोबाईल नं. _____
5 पता _____

जिला _____

फोन नं. _____ मोबाईल नं. _____

(एसटीडी कोड सहित)

- 6 चाहे गए वाहन निर्माता एवं वाहन का प्रकार
- | | वाहन निर्माता | वाहन प्रकार | ट्रेड सर्टिफिकेट नं. व अवधि |
|---|---------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | _____ | _____ | _____ |
| 2 | _____ | _____ | _____ |
| 3 | _____ | _____ | _____ |

- 7 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग खाता क्रमांक _____ ब्रांच

- 8 चाहा गया यूजर नेम (User name) 1 _____
2 _____
- 9 अधिकृत व्यक्तियों के नमूना हस्ताक्षर 1 _____
(RTO की उपस्थिति में किए जावे) 2 _____

- 10 नमूना सील

संलग्न :- 1 ट्रेड सर्टिफिकेट की छायाप्रति

दिनांक :-

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान :-

RTO कार्यालय के उपयोग हेतु

डीलर द्वारा प्रदत्त उपरोक्त समस्त विवरण सही है, नमूना हस्ताक्षर मेरे समक्ष किए गए हैं तथा ट्रेड सर्टिफिकेट की छायाप्रतियां सही है।

आवेदक को "पंजीयन प्राधिकारी" बनाए जाने की अनुशंसा की जाती है।

RTO/Add.RTO/DTO हस्ताक्षर -----

नाम -----

जिला -----

(नोट :- दोनों प्रतियां परिवहन आयुक्त कार्यालय भेंजे)

परिवहन आयुक्त कार्यालय के उपयोग हेतु

आवेदक को "पंजीयन प्राधिकारी" बनाने की अनुमति दी जाती है।

परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश

आवेदक को यूजर नेम (User name) -----

आवंटित किया जाता है।

उपपरिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि,

1 उपपरिवहन आयुक्त(प्रवर्तन) मध्यप्रदेश।

2 RTO/Add.RTO/DTO -----

उपपरिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)
मध्यप्रदेश